

पूर्वोत्तर रेलवे
कार्यालय आदेश सं० ५१/२०१६

मंडल रेल प्रबन्धक(का०)/वाराणसी के ज्ञापन सं.का/१९१/राज/हा.आ./भाग-V/०८-०९ दिनांक २९.०४.१६ के अनुसार हाउस आफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित प्रतीक्षा सूची में निम्न अभ्यर्थी को संविदा पर कैसर संस्थान/पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए हाउस आफिसर के पद पर निम्नांकित शर्तों के साथ engagement किया जाता है।


क्रम सं०	नाम	पिता का नाम	चिकित्सालय का नाम
१.	डॉ० शिव कुमार यादव	श्री छोटे लाल यादव	कैसर संस्थान, पू.उ.रे. वाराणसी

नियम एवं शर्तः

१. यह डॉक्टर जिस दिन से कार्यभार करेंगे उन्हें वेतन मानदेय के रूप में देय होगा।
२. ये चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
३. प्रत्येक हाउस आफिसर को मौजूद फ्लैट्स में उपलब्ध रहने पर एक आवास निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। एक फ्लैट में दो या तीन हाउस आफिसर के आवास की व्यवस्था होगी।
४. आवास पर रेलवे टेलीफोन की व्यवस्था होगी।
५. स्वयं अस्वस्थ रहने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी।
६. एक वर्ष में कुल ०८ दिन आकस्मिक अवकाश सेवा अवधि के अनुपात में देय होगा।
७. कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
८. सेवा अवधि की समाप्ति पर हाउस आफिसर की सेवा बिना कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकती है या दोनों पार्टियों में से किसी की भी ओर से १४ दिन अग्रिम सूचना देने पर ऐसा किया जा सकता है।
९. एक वर्ष के सेवाकाल समाप्ति के उपरान्त सामान्य प्रथम श्रेणी मानार्थ पास कार्यस्थल से निवास स्थान तक के जारी किया जा सकता है।

यह आदेश जारी होने की तिथि से १० दिनों के अंदर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा नियुक्ति हेतु आपकी असहमति मानी जायेगी।

उपर्युक्त पर मुख्य चिकित्सा निदेशक/गोरखपुर का अनुमोदन प्राप्त है।



24.5.16

चिकित्सा निदेशक
कैसर संस्थान
वाराणसी
दिनांक २४.०५.२०१६

सं. का/१९१/राज/हा.स./भाग-V/०८-०९

प्रतिलिपि सूचनार्थ

१. महाप्रबन्धक/का०/गोरखपुर।
२. वमविप्र/वाराणसी
३. निदेशक कैसर संस्थान/वाराणसी।
४. मुचिनि/गोरखपुर।
५. कार्याधी-राज०बिल कैडर/वाराणसी
६. सम्बन्धित हाउस आफिसर।


24.05.16
कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
वाराणसी